भाग–2
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार
विवरण पत्र–1
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	(iii) टेलीफोन / मोबाईल / डेटा कार्ड / लीज लाईन / इंटरनेट / वी–सेट / फैक्स का संयोजन ।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	सुसंगत नियमों / शासनादेशों में निर्धारित अनुमन्यता के अधीन बजटीय सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	–	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्क्ष	–	रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) प्रतिवर्ष की सीमा तक।	
	(v) कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर फाटोकॉपियर वॉटर कूलर / प्यूरीफायर / ए0सी0 आदि कार्यालय में स्थापित उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध किया जाना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए बजटीय सीमा के अंतर्गत। प्रतिबंध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा। अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य सक्षम फर्म से करवाया जा सकेगा। जिसकी दर कय मूल्य (करों को छोड़कर) की 10% से अनधिक होगी।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में रू0 15.00 हजार (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक की सीमा तक।	एक समय में रू0 15.00 हजार (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) तक की सीमा तक।	
	(vii) औषधियों का कय	1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड) की सीमा तक।	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड) की सीमा तक।	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज	–	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) की सीमा तक।	
		4. मुख्य चिकित्साधिकारी / राजकीय चिकित्सालयों के प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	–	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	

4.	1. पुलिस हिरासत में बन्द अभियुक्तों के ईलाज के लिये गैर–सरकारी चिकित्सकों को शुल्क का भुगतान स्वीकृत करना।	पुलिस अधीक्षक	प्रत्येक मामले में, जहाँ ऐसा व्यय रू0 1.00 हजार (रू0 एक हजार) से अधिक न हो।	पूर्ण अधिकार	भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स–रे/ एम0आर0आई0/ सी0टी0 स्कैन अथवा अन्य टेस्ट अथवा मांगा गया शुल्क उचित है।
6.	विशेष आकस्मिक व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यय, जब वे साम्प्रदायिक दंगों, हड़ताल और इसी प्रकार के अन्य उपद्रवों के सम्बन्ध में किये गये हो, स्वीकृत करना।	1. पुलिस महानिदेशक	–	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. पुलिस उप महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू0 10.00 हजार (रू0 दस हजार) की सीमा तक बजट उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) की सीमा तक।	

विज्ञापन व्यय					
24	निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/ अपंजीयत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्यों जैसे (नक्शे, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	1.प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	अधिकारों का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जायगा। अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जायेगा। अधिप्राप्ति नियमावली का पालन व बजट सीमान्तर्गत
		2– विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार) रूपये तक	पूर्ण अधिकार	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 हजार (रू0 दस हजार) रूपये तक	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) रूपये तक	
25	सामान्य निर्वाचन (जनरल इलेक्शन्स), द्विवर्षीय निर्वाचन और उप निर्वाचन, मतदाता सूचियों में वार्षिक संशोधन से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री स्थानीय रूप से मुद्रण स्वीकृत कराना।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
अन्य व्यय					
27	किसी विशिष्ट कार्य के लिए वाह्य व्यावसायिक विशेषज्ञ, परामर्श देने वाली फर्मो आदि की सेवायें की स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजटीय सीमान्तर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	
28	वेब सर्विसेस, मोबाईल एप, वेबसाईट/पोर्टल डेवलपमेंट, एवं इनका वार्षिक अनुरक्षण/ सॉफ्टवेयर का लाईसेंस शुल्क।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2– विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) रूपये तक	प्रत्येक मामले में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) रूपये तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) तक	

		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5.00 हजार (रू0 पांच हजार) प्रतिमाह तक	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) प्रतिमाह तक	

विवरण पत्र–3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	क– मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI तथा विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के अधीन। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोडकर किसी एक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) तक निम्नलिखित शर्तों के अधीनः– (1) यह कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय– समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स / तत्सम्बन्धी	धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोडकर किसी एक मामले में रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख) तक निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अधीनः– (1) यह कि आवासीय भवन शासन द्वारा समय–समय पर नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2) आवासीय भवनों में बिजली लगाने का व्यय तथा फिटिंग्स की मात्रा फन्डामेन्टल / सब्सिडियरी रूल्स तथा तत्सम्बन्धी विधायक शासनादेशों में दी हुई सीमा के अनुसार होनी चाहिए। (3) आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न	

			जायेगी और कय के लिये आदेश देने से पहले मुख्यमंत्री जी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।		
	ख– वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	आय–व्ययक प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत।
		2–विभागाध्यक्ष	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा तक	आय–व्यय प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक	
3.	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों / अनुपूरक अनुमानों / पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	
		2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग	रू0 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	रू0 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
		3–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0नि0वि0, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	3–रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) की सीमा तक	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग।	4. रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	4. रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		5–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	5– रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।	
8	गैर आवासिक भवनों में बिजली संबंधी निर्माण कार्य के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	–
		2. मुख्य अभियंता, लोनिवि0 / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग	2. रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक	3. रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक	

		8. सहायक अभियन्ता, विद्युत / यांत्रिक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	
विवरण पत्र–4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–5 के पश्चात नया क्रमांक–6 का जोड़ा जाना।					
6	विभिन्न प्रकार की अधिप्राप्तियों हेतु टेण्डर निर्गत किया जाना एवं स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	–	पूर्ण अधिकार	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सीमांतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	–	पूर्ण अधिकार	

विवरण पत्र–5
भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यालयों हेतु उपकरण /संयत्र एवं नई साज–सज्जा यथा कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर, जनरेटर, फर्नीचर आदि का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 2.00 लाख (रु0 दो लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	एक बार में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) की सीमा तक।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	–	एक बार में रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
2.	विभागीय कार्य हेतु विशिष्ट उपकरण एवं संयंत्र का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	एक बार में रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		1 पुलिस महानिदेशक	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10.00 लाख (रू0 दस	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक	

		3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	
		4. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई /ग्रामीण निमार्ण विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000 लाख (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 50,00,000 लाख (रू0 पचास लाख) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000 लाख (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 50,00,000 लाख (रू0 पचास लाख) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	
4.	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिये अनुमान स्वीकृत किया जाना	1. विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण एवं स्वास्थ्य विभाग को छोड़ते हुए)	1. रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) तक।	1. पूर्ण अधिकार	अधिप्राप्ति नियमों का पालन करते हुये उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत।
		2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज	2. पूर्ण अधिकार	2. पूर्ण अधिकार	
		2. अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि0/यां0, लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	2. पूर्ण अधिकार	2. पूर्ण अधिकार	
		3. अधिशासी अभियन्ता सिविल, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	3. रू0 15,000 (रू पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि./यां.) की संस्तुति पर।	3. रू0 15,000 (रू पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि./यां.) की संस्तुति पर।	
		4. अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0	रू0 60,000/– (रू0 साठ हजार)	रू0 60,000/– (रू0 साठ हजार)	
			निष्प्रोज्य सामग्री व सामग्री का निस्तारण		
7.	फालतू और निष्प्रोज्य भण्डार का विकय स्वीकृत करना। (अभियंत्रण	1. प्रशासकीय विभाग।	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रोज्य भण्डार के विकय के

9	निष्प्रोज्य घोषित भण्डार के सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	विलोपित	विलोपित
		2. परिवहन आयुक्त	रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) तक	विलोपित	
		3. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो.नि.वि./सिंचाई/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख) पुस्तक मूल्य तक।		
		4. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/ यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	विलोपित	
		5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्य विद्युत नियंत्रक।	रु0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	विलोपित	

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।